राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1192/2015/टोंक.
2. अपील संख्या – 1193/2015/टोंक.
3. अपील संख्या – 1194/2015/टोंक.
4. अपील संख्या – 1195/2015/टोंक.
5. अपील संख्या – 1196/2015/टोंक.
6. अपील संख्या – 1197/2015/टोंक.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, टोंक .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 141, 142, 143, 144, 145 व 146/14–15/वैट/टोंक में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.04.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार करते हुए, आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	आरोपित कुल मांग
1192/2015	2007–08	1,28,69,154/–
1193/2015	2008–09	1,56,93,355/–
1194/2015	2009–10	6,21,60,732/–
1195/2015	2010–11	1,06,72,224/–
1196/2015	2011–12	2,08,59,921/–
1197/2015	2012–13	2,07,78,901/–

लगातार.....2

2. सभी छः अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक शैक्षणिक संस्थान है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां एवं पाठ्यक्रम संपादित किये जाते हैं। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत—प्रथम, जयपुर द्वारा मय दल दिनांक 12.12.2012 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान ठेकेदारों से करवाये गये कार्य के लिये सीमेंट व लोहा सप्लाई किया गया है एवं विवरण पत्रिका मय प्रवेश फॉर्म की बिक्री की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा ठेकेदारों को भुगतान की गई ठेका राशि में से सप्लाई किये गये माल की कीमत काटकर भुगतान किया गया है। उक्त सर्वेक्षण के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत दिनांक 30.09.2014 को पारित करते हुए ठेकेदारों को सप्लाई की गई सीमेंट व लोहा पर 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया तथा देय कर विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण किया गया। साथ ही करापंवचन की मंशा अवधारित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई। इसी प्रकार विद्यार्थियों को विक्रय किये गये विवरण पत्रिका मय प्रवेश फॉर्म पर भी कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2015 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों के लिये सीमेन्ट व लोहे की सप्लाई ठेकेदारों को की गई है तथा भुगतान के समय सीमेन्ट व लोहे की राशि काटकर शेष राशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार विद्यार्थियों से एक निश्चित राशि लेकर विवरण पत्रिका मय प्रवेश फॉर्म का विक्रय किया गया है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा किया गया उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से विक्रय की श्रेणी में आता है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने एवं अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी के

लगातार.....3

इसी सर्वेक्षण दिनांक 12.12.2012 के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 11 सपठित धारा 56 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.03.2013, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संस्थान का पंजीयन का दायित्व निर्धारित किये जाने का आदेश पारित किया गया था, के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया था, जिसकी अपील माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष की जाने पर माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 01.12.2014 से प्रत्यर्थी संस्थान की अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी शिक्षण संस्थान को व्यवहारी नहीं मानते हुए पंजीयन का दायित्व नहीं होने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.बी.सेल्स टैक्स रिविजन पिटिशन नं0 205/2014 भी अस्वीकार करते हुए माननीय कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध पारित आदेश प्रथम दृष्टया अविधिक हो जाने के कारण खारिज होने योग्य हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए कर निर्धारण आदेश अपास्त किये गये हैं, जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 06.02.2015 की प्रति प्रस्तुत करते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा राजस्थान कर बोर्ड व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी एक शिक्षण संस्थान है, जिसका मुख्य कार्य शिक्षा से सम्बन्धित है। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने शैक्षणिक परिसरों में ठेकेदारों के जरिये निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसके लिये सीमेंट व लोहा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ही प्रदान किया गया है एवं उक्त सप्लाई किये गये सीमेंट व लोहे की राशि को भुगतान के समय टीडीएस काटा गया है। इसी सन्दर्भ में एवं इसी सर्वेक्षण दिनांक 12.12.2012 के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 11 सपठित धारा 56 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.03.2013 पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी का पंजीयन का दायित्व होने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया था, जिसकी अपील होने पर राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा आदेश दिनांक 01.12.2014 पारित करते हुए निम्न निष्कर्ष प्रदान किया गया था–

लगातार.....4

"25. माननीय उच्चतम न्यायालय के पैरा संख्या 11 में वर्णित निर्णय व अन्य वर्णित निर्णयों के प्रकाश में वेट अधिनियम की धारा 11 के अनिवार्य पंजीयन के प्रावधान, धारा 2(11) में डीलर की परिभाषा एवं धारा 2(6) के कारबार (Business) की परिभाषा के संयुक्त पठन के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी वनस्थली विद्यापीठ का मूलभूल/प्राथमिक व प्रबल/सर्वाधिक (Predominent) कार्य शिक्षा प्रदान करना है, व शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना है। विवरण पत्रिका बेचने व संस्थान के परिसर में कक्षाओं के निर्माण के लिये उपलब्ध कराये गये सीमेन्ट व लोहे की आपूर्ति करने का कार्य वेट अधिनियम की धारा 2(11) में 'डीलर' की परिभाषा अनुसार अपीलार्थी द्वारा कारबार किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी विश्वविद्यालय का किसी कारबार (Business) की गतिविधियों में लगे रहने (indulge) के हेतुक का सर्वथा अभाव है। अपीलार्थी द्वारा कारबार किये जाने का तत्व परिलक्षित नहीं होता है। अपीलार्थी विश्वविद्यालय की स्थापना माल के खरीद बिक्री करने के कारबार करने के आशय से नहीं की गई है। शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को कारबार (business) करने वाली संस्था के रूप में रूपान्तरित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी का मुख्य कार्य कारबार (Business) नहीं होने की स्थिति में इसके द्वारा किये गये आनुषंगिक संव्यवहार से अपीलार्थी को डीलर नहीं ठहराया जा सकता है। वेट अधिनियम की परिधि में नहीं होने के कारण अपीलार्थी पंजीकरण प्राप्त करने के लिये दायी नहीं है।

26. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी का पंजीयन दायित्व नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर पंजीयन दायित्व दिये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 18.03.2013 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2014 से उक्त कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।"

9. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी **एस.बी.सेल्स टैक्स रिविजन पिटिशन संख्या 205/2014**, माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.2015 से अस्वीकार की जाकर निम्न निर्णय प्रदान किया गया है :–

"39. After having considered these judgments (supra) and as expressed earlier, imparting of education cannot be said to be in the nature of business activity, a trade, commerce or manufacture and once the assessee is not carrying on business or a trade or commerce or manufacture and the predominant and main activity is that of

लगातार.....5

imparting education, it cannot be said to be a dealer and once this Court comes to the conclusion that the assessee does not carry on any business and is not a dealer then it is not required to get itself registered under the provisions of RVAT Act and therefore, in view of what has been expressed herein above, the Tax Board was right in coming to the conclusion that the respondent was not required to be granted "Obligatory Registration" under Section 11 of the RVAT Act and I hold accordingly.

40. Resultantly, the questions of law, as framed herein above, are decided in favour of the respondent and against the Revenue.

41. Consequently, the instant revision petition has no force and stands dismissed accordingly with no orders for cost."

10. इस प्रकार प्रत्यर्थी को उक्त अपीलों में आक्षेपित कर निर्धारण वर्षों के संदर्भ में ही वेट अधिनियम की धारा 2(11) के तहत् डीलर की परिधि में नहीं आने से पंजीयन के लिये दायित्व नहीं होने की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 06.02.2015 द्वारा पुष्टि की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 15.04.2015 में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह निष्कर्ष दिया है कि **"माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 01.12.2014 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2015 के तहत् अपीलीय व्यवहारी डीलर की श्रेणी में नहीं आता है। अतःकरदेयता नहीं बनती है।"** अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्व/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्त अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 15.04.2015 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जाये।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य